IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उ0प्र0 में भूमि सुधारा कानून और चौ0 चरण सिंह चौ0 चरण सिंह एवं उ0प्र0 में भूमि सुधार कानून

डॉ0 गुरूदीप सिंह उप्पल

प्राचार्य,

संघटक राजकीय महाविद्यालय

सहसवान (बदायूँ)

1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय चौ0 चरण सिंह संयुक्त प्रान्त (उ0प्र0) में संसदीय सचिव थे। 1948 से 1951 तक वह राज्य विधाममण्डलीय दल के सचिव भी रहे।[01] यद्यपिज हाँ तक राजस्व–विभाग का सवाल था, उस अवधि में भी चौ0 चरण सिंह ने लगभग मंत्री के पूरे अधिकारों का उपभाग किया क्योंकि राज्य का कांग्रेस विधायक दल भूमि सुधार सम्बंधी उनकी अवधारणा का पक्षधर था तथा विशेषरूप से उनकी योग्यता और कठोर परिश्रम करने की क्षमता के कारण मुख्यमंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत का उन पर पूरा भरोसा था। 1951 में चौ0 चरण सिंह को प्रथम बार सूचना एवं न्याय मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में आने का अवसर प्राप्त हुआ।[02]

1952 में, चौ० चरण सिंह को न्याय और सूचना के साथ ही राजस्व विभाग भी सौंप दिया गया। उन्हीं के नेतृत्व में उ० प्र० में जमीदारी उन्मूलन विधेयक जुलाई 1952 को लागू हुआ। फिर उन्हें कृषि मंत्रालय भी दिया गया।[03]

उत्तर प्रदेश ने भूमि–सुधार के मामले में पूरे देश का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता पूर्व ही 8 अगस्त, 1946 को उ० प्र० की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर उ० प्र० सरकार को निर्देशित किया कि वह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की योजना तैयार करने के लिए एक 04 समिति नियुक्त करें।[04] राज्य सरकार ने इसका अनुसरण करते हुए राज्य से जमीदारी के उन्मूलन की योजना तैयार करने के लिए प्रीमियर (जैसा कि उन दिनों मुख्यमंत्री को कहा जाता था) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।[05] जमींदारी उन्मूलन समिति ने अपनी रिपोर्ट 1948 के अन्त में पेश की। समिति के एक सदस्य की हैसियत से चौ० चरण सिंह ने 1947 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण यह भी था कि समिति के अधिकांश अन्य सदस्यों को सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न थी, अतः ग्रामीण समस्याओं पर चरण सिंह के विचारों और समिति के अधिकांश सदस्यों की वैचारिकता में जमीन–आसमान का फर्क था। अब, अपना असहमति–पत्र प्रस्तुत करने के बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे लिखना उचित समझा। अपने 18 अक्टूबर, 1948 के नोट में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि समिति की कम से कम उन सात सिफारिशों को तो तत्काल रद्द किया ही जाए, जिनके आधार पर योजना तैयार की गई है।

इस पर मुख्यमंत्री गोविन्द बल्ल्भ पंत जी ने जमींदारी उन्मूलन विधेयक का बेहतर मसौदा तैयार करने के लिए उन्हीं की (चौ0 चरण सिंह) अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों और कानून अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी।[06] इस समिति ने कठिन परिश्रम करके विधेयक का प्रारूप तैयार किया।

राज्य मंत्रिमण्डल ने चौ० चरण सिंह के नेतृत्व वाली प्रस्ताव समिति द्वारा तैयार किए गए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक को मई, 1946 में स्वीकृति दी तथा 7 जुलाई को विधानसभा में पेश किये जाने के बाद उसे 12 जुलाई को विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति का प्रतिवेदन 6 जनवरी 1950 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक अन्ततः जब दोनों सदनों में पारित हो गया और गर्वनर ने उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी, तब उसे भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास भेजा गया जिस पर 24 जनवरी, 1951 को उनकी स्वीकृति मिल गई। फिर भी जमींदारों द्वारा, जिनकी अंततः छुट्टी कर दी गयी थी, मुकदमा दायर किये जाने के कारण जुलाई, 1952 तक उसका लागू किया जाना रूका रहा।[07]

जुलाई, 1952 में, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून लागू हुआ। इस प्रक्रिया से प्रदेश के उन सभी काश्तकारों की उन जोतों का 'सीरदार' बना दिया गया, जिन पर वे हल चला रहे थे। ऐसे सीरदारों को, जिन्होंने सरकारी मालखाने में अपने लगान की दस गुना रकम जमा कर दी, भूमिधर बना दिया गया। निर्बल, भूमिहीन किसानों के हक में यह एक क्रान्तिकारी कदम था।[08]

1948 में, जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार किया गया तथा 1949 में उक्त विधेयक को विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समितियों को भेजा गया, तब भूस्वामियों और उनके प्रतिनिधियों ने इसकी तीव्र आलोचना की थी। चौ० चरण सिंह ने 16 अगस्त, 1949 को लखनऊ से प्रकाशित "नेशनल हेरल्ड'' में "इवोल्यूशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी० क्रिटिसिज्म आन्सर्ड''[09] लेख लिखकर जमींदारी उन्मूलन की आलोचनाओं का जवाब दिया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चरण सिंह कृषि और कृषकों की समस्याओं के समाधान के सन्दर्भ में शुरू से ही सोचते थे तथा कृषि की उन्नति और किसानों के हित के लिये उन्होंने प्रयास भी किये।

जमींदारी उन्मूलन विधेयक द्वारा जमींदारी खत्म होने से नाराज पुराने जमींदारों द्वारा पाले–पोसे जाने वाले पटवारियों ने आन्दोलन शुरू कर दिया। इन दोनों (पटवारी तथा जमींदार) की बेईमानी से भरी आदतों को गांवों के किसान भली प्रकार जानते ही नहीं, उनसे रोजाना पीड़ित भी हो रहे थे। चौ० चरण सिंह ने दोनों वर्गों को पाठ पढ़ाने का इरादा कर लिया था। अतः पहले तो चौ० चरण सिंह ने उ० प्र० के समस्त पटवारियों से सरकारी कागजात तहसीलों में जमा करा लिए और फिर उनको सामूहिक त्याग–पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया। पटवारियों के सामूहिक त्याग पत्र देते ही चौ० चरण सिंह ने उनको तुरन्त स्वीकार कर लिया। संभवतः इतनी बड़ी संख्या में (लगभग 28 हजार) लोगों को किसी ने सेवा मुक्त न किया होगा। पटवारियों के त्याग पत्र से किसानों को राहत मिली और युवकों को रोजगार। पटवारियों के स्थान पर आपने 13000 लेखपालों की भर्ती की 10 और इस भर्ती में 18 प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए आरक्षित किए।[10] पटवारियों को सेवा – मुक्त करने के निर्णय से चौ० चरण सिंह की एक कठोर प्रशासक की छवि बन गई। अब यह स्पष्ट था कि वह हड़ताल विरोधी तथा कठोर निर्णय लेने वाले अनुशासनप्रिय प्रशासक थे।

कृषि एवं राजस्व मंत्री के रूप में चौ० चरण सिंह ने एक और क्रान्तिकारी काम किया यह था चकबन्दी कानून। वास्तव में चरण सिंह एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जो किसान की समस्याओं को किसान की ही नजर से देखते थे। ची० चरण सिंह जानते थे कि छोटी–छोटी और बिखरी हुई जोतें, जहाँ किसानों के लिए तमाम कठिनाईयां पैदा करती थीं, वहीं उनसे अन्नोत्पादन भी कम होता था। अतः उन्होंने 1953 में चकबन्दी कानून पारित कराया। यह कानून 1954 में लागू हुआ।[11] चकबन्दी के परिणामस्वरूप उ० प्र० में, 8 वर्ष में 1,62,63,809 खेतों के 28,27,940 चक बना दिये । एक चक में औसतन 6.75 खेत शामिल थे। नतीजा यह निकला कि इन चर्को के मालिकों को फसल की रखवाली, सिंचाई के लिए पानी के मुस्तकिल इंतजाम तथा फसल को खेत से खलिहान तक ले जाने की व्यवस्था करने में सुविधा हो गई, साथ ही मानव–श्रम में भी बचत हो गई। कृषि उपजों में भी खासी वृद्धि देखने में आई।[12]

1954 में ही चौ० चरण सिंह ने उ० प्र० में भूमि संरक्षण कानून बनाकर पारित कराया। यह देशभर में अपनी तरह का पहला कानून था। जिला तथा ब्लॉक स्तर पर मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण की योजना के क्रियान्वयन का श्रेय चौ० चरण सिंह को ही है। इसका मुख्य लक्ष्य मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप खादों, उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि उपज को 13 बढ़ाना था।[13]

चौ० चरण सिंह ने गरीब किसानों के हक में एक विशेष काम यह किया कि सस्ती खाद, बीज आदि के लिए कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना चलाई। 1963 से पूर्व सस्ते, बीज, उर्वरक तथा कृषि यन्त्रों आदि की सुविधाएं उन्हीं किसानों को मिल पाती थीं, जो सहकारी समितियों के सदस्य होते थे। लगभग 40 प्रतिशत किसान ही इन समितियों के सदस्य थे। बाकी 60 प्रतिशत किसानों को यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चौ० चरण 14 सिंह ने कृषि आपूर्ति संस्थानों की स्थापना की।[14] इस प्रकार स्पष्ट है कि चौ० चरण में उ०प्र० में भूमि सुधार कानून लागू करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सन्दर्भ सूची

01. चौ0 चरण सिंह, उ0प्र0 में भूमि सुधार और कुलक वर्ग, किसान ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ–01
02. उपर्युक्त, पृष्ठ–01
03. उपर्युक्त, पृष्ठ–01
04. उपर्युक्त, पृष्ठ–02
05. उपर्युक्त, पृष्ठ–02
06. उपर्युक्त, पृष्ठ–03
07. उपर्युक्त, पृष्ठ–06
08. अजय सिंह, चौ0 चरण सिंहः विशिष्ट रचनाएं, किसान ट्रस्ट, नई दिल्ली, (प्रस्तावना से)
09. नेशनल हेराल्ड, लखनऊ, 16 अगस्त, 1949
10. चौ0 चरण सिंह, उपर्युक्त, पृष्ठ–56
11. उपर्युक्त, पृष्ठ–100
12. भोलाशंकर शर्मा, धरा–पुत्र चौ0 चरण सिंह और सउकी विरासत, राष्ट्रीय लोकदल, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–07
13. उपर्युक्त, पृष्ठ–07
14. उपर्युक्त, पृष्ठ–08